संख्या-405/2025/249 के-2/22-3-2025-17(533)/2024

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश मिश्र,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ दिनांक 12 अगस्त, 2025

विषय:- जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सोनू उर्फ यतेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक उप महानिरीक्षक, (मु0) कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या-20258/प्रोवेशन-3-फार्म-ए/(एम-28.06.2024) दिनांक-08.07.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सोनू उर्फ यतेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा, जो ग्राम-धनसिंया, थाना-जेवर, जनपद-गौतमबुद्धनगर का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 30.07.2009 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर चतरवीर सिंह रावल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-663/2009 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 25.02.2012 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20.01.2024 तक बंदी की आयु लगभग 41 वर्ष है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध हत्या से सम्बन्धित है, जो व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में शारीरिक रूप से स्वस्थ होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 30.07.2009 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर चतरवीर सिंह रावल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सोनू उर्फ यतेन्द्र शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

3- अत: उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सोनू उर्फ यतेन्द्र शर्मा (बंदी संख्या-198/2023) पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा, निवासी जनपद-गौतमबुद्धनगर के फार्म-ए/लाईसेंस पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति राज्यपाल महोदया द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,
सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

संख्या व दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी के सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर।

4- अधीक्षक, जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में पारित आदेश दिनांक 10.09.2024 के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2, उ0प्र0 शासन।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
अनीस अख्तर अंसारी
अनु सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

शासनादेश संख्या-405/2025/249 के-2/22-3-2025-17(533)/2024

दिनांक 12 अगस्त, 2025 का संलग्नक

सरकार के आदेश

जिला कारागार, गौतमबुद्धनगर में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी सोनू उर्फ यतेन्द्र शर्मा पुत्र श्री राजेन्द्र शर्मा, जो ग्राम-धनसिंया, थाना-जेवर, जनपद-गौतमबुद्धनगर का निवासी है। पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 30.07.2009 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर चतरवीर सिंह रावल नामक व्यक्ति की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण सं0-663/2009 के अन्तर्गत भा0द0वि0 की धारा-302/34 में मा० पंचम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गौतमबुद्धनगर के आदेश दिनांक 25.02.2012 द्वारा आजावीन कारावास से दण्डित किया गया। जेल रिपोर्ट के अनुसार दिनांक 20.01.2024 तक बंदी की आयु लगभग 41 वर्ष है।

जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट, गौतमबुद्धनगर द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में बन्दी द्वारा कारित अपराध हत्या से सम्बन्धित है, जो व्यक्ति विशेष को प्रभावित करने की श्रेणी में नहीं होने, भविष्य में पुन: अपराध करने की संभावना से इंकार नहीं किये जाने, पुन: अपराध करने में शारीरिक रूप से स्वस्थ होने, जेल में आगे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने के दृष्टिगत बंदी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

प्रोबेशन बोर्ड का अभिमत है कि पुरानी रंजिश को लेकर दिनांक 30.07.2009 को बन्दी ने 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर तमन्चों से गोली मारकर चतरवीर सिंह रावल नामक व्यक्ति की हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है। इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने की सम्भावना होने, पुनः अपराध करने में अशक्त न होने का अंकन जनपदीय अधिकारियों द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता, जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस उपायुक्त एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा मा० उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में समयपूर्व रिहाई का विरोध किये जाने के दृष्टिगत प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट-1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी सोनू उर्फ यतेन्द्र शर्मा पुत्र राजेन्द्र शर्मा को फार्म-ए/ लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की जाती है।

उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल महोदया द्वारा बंदी की फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार कर दी गयी है।

सूर्य प्रकाश मिश्र
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है।